

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 09 जुलाई, 2010 / आषाढ़ 18, 1932 (शक)

संख्या-85

सदस्य की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को उपायुक्त पुलिस, जिला दक्षिण पूर्व नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

“मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री रमेश विधूडी को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत कानून व्यवस्था व जन शांति बनाये रखने के लिए पुलिस थाना, पुल प्रहलाद पुर, नई दिल्ली से दिनांक 05.07.2010 को पूर्वाह्न 10.30 बजे नजरबंद किया गया।

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनांक 05.07.2010 अपराहन 12.30 बजे रिहा कर दिया गया।”

पी.एन.मिश्रा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday 09 July 2010/ Ashadh 18, 1932(Saka)

No.85

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Deputy Commissioner of Police, South East Distt., New Delhi.

“I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi; Shri Ramesh Bidhuri was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 in the premises of Police Station Pul Prahladpur, New Delhi at 10.30 AM on 05.07.2010.

He was released at 12.30 PM on the same date. ”

P.N. Mishra
Secretary